संख्या 6178/आठ–1–08–26/07

प्रेषक,

श्री शंकर अग्रवाल

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त**

   उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास पारिषद

   लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष**

   समस्त विकास प्राधिकरण

   उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 05 जनवरी, 2008

विषय : नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण/संवर्धन एवं विस्तार के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि सुदृढ़ आर्थिक विकास में इन्फ्रास्ट्रक्चर की महत्वपूर्ण भूमिका है। नगरीय क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता तथा नगरों की 'सस्टेनेबिल्टी' अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर निर्भर करती है। प्रदेश में हो रहे तीव्र नगरीयकरण के परिवेश में नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का प्राविधान स्थानीय अभिकरणों के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनानतर्गत परिकल्पित 'विजन' के अनुसार आगामी दो दशकों में नगरीय क्षेत्र आर्थिक विकास के इंजन होंगे तथा जी.डी.पी. में 9–10 प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करेगी कि नगरों को 'लिवेबल' 'इन्क्लूसिव' 'बैंकेबल' तथा 'कम्पीटिटिव' किस प्रकार बनाया जाय।

2. प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा अभूतपूर्व पहल की गयी है। इस क्रम में हाई–टेक एवं इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की नितियॉ घोषित की गई हैं। उल्लेखनीय है कि उक्त नीतियों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप नगरीय क्षेत्रों में अतिरिक्त जनसंख्या के लिए आवास, रोजगार एवं मनोरंजन की सुविधाओं का सृजन होगा, जिसके फलस्वरूप विद्यमान अवस्थापना सुविधाओं पर दबाव बढ़ेगा। अतः नगरीय अवस्थापना सुविधाओं विशेष रूप से यातायात एवं परिवहन व्यवस्था/रोड नेटवर्क, ड्रेनेज, जलापूर्ति, विद्युत–आपूर्ति, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, आदि का संवर्धन/सुदृढ़ीकरण अपरिहार्य है अन्यथा शहरों की विद्यमान अवस्थापना सुविधाएं भविष्य में बढ़ने वाले दबाव का वहन करने में समर्थ नहीं होंगी। उक्त दोनों नीतियों के अधीन विकास प्राधिकरणों को निजी विकासकर्ताओं से भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क विकास शुल्क, लाईसेन्स

शुल्क, नगरीय विकास शुल्क, निरीक्षण शुल्क, आदि के रूप में धनराशि प्राप्त हो रही है/होगी, जिसका उपयोग अवस्थापना सुविधाओं के विकास में सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है, अतः सम्बन्धित नगरों की महायोजनाओं के अनुरूप अवस्थापना सुविधाओं के संवर्धन/सुदृढ़ीकरण हेतु विकास प्राधिकरणों द्वारा स्थानीय निकायों व अन्य सम्बन्धित विभागों से समन्वय कर शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जानी आवश्यक है।

3. उपर्युक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक विकास प्राधिकरण द्वारा अपने नगर की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के दृष्टिगत अवस्थापना सुविधाओं के संवर्धन/विस्तारीकरण हेतु एक 'कम्प्रीहेन्सिव' कार्य–योजना तैयार की जाय, जिसमें लागत का आगणन, वित्त पोषण व्यवस्था तथा 'इम्पलीमेन्टेशन शिड्यूल' शामिल हो। इसके अतिरिक्त यातायात एवं परिवहन के लिए भी एक दीर्घकालीन योजना बनाई जाए, जिसमें विद्यमान सड़कों का चौड़ीकरण, महायोजना में प्रस्तावित नई सड़कों/रिंग रोड/बाईपास के लिए भूमि आधिग्रहण एवं निर्माण, चौराहों का सुधार, पार्किंग व्यवस्था, स्ट्रीट–लाईटिंग, बस–टर्मिनल एवं ट्रान्सपोर्ट नगर, फलाई ओवर तथा मास ट्रान्सपोर्ट सिस्टम, आदि के लिए प्रस्ताव शामिल हों। प्रस्तावित कार्य–योजना पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त उसकी एक–एक प्रति शासन तथा आवास बन्धु को एक माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

शंकर अग्रवाल
प्रमुख सचिव

संख्या : 6178(1)/आठ–1–06–26/07 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन को इस आशय से कि सम्बन्धित स्थानीय निकायों तथा जल निगम को उक्त कार्य–योजना तैयार करने में विकास प्राधिकरणों को सहयोग देने के लिए अपने स्तर से निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,, लखनऊ।
6. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ, उत्तर प्रदेश।
7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

आर.के. सिंह
विशेष सचिव